पारंपरिक जातिगत व्यवसाय का ग्रामीण अधिवास पर प्रभाव

भूमिका

अधिवास अथवा बस्ती शब्द अंग्रेजी भाषा के Settlement शब्द का रूपांतरण है, जो बसाव इकाई के रूप में जनसंख्या समूहन तथा गृहों एवं मार्गों के रूप में उन सुविधाओं का द्योतक है, जो उनमें निवास करने वालों को सेवा प्रदान करती हैं। जिस स्थान पर कुछ गृह बने होते हैं वह एक अधिवास अथवा बस्ती को प्रकट करता हैं। गृह अधिवास के सर्वप्रमुख घटक होते हैं तथा मार्ग एवं सड़के अधिवास की दूसरी महत्वपूर्ण घटक हैं। विभिन्न गृहों तथा अधिवासों को अन्य अधिवासों या क्षेत्रों से संयुक्त करने के लिए मार्ग या सड़कें बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त बाग- बगीचे, खेत खलिहान, खेल के मैदान, उपवन आदि भी अधिवास से जुड़े होते हैं और अधिवास के ही अंग माने जाते हैं।

अधिवासों का निर्माण अनेकों उद्देश्यों से किया जाता हैं। गृह निर्माण के उद्देश्यों में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती हैं। गृहों के निर्माण हेतु, कार्य करने हेतु, उपकरणों एवं उत्पादन सामग्रियों को सुरक्षित रखने हेतु तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक-राजनैतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाता हैं।

मानव बस्तियाँ आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता हैं। बस्तियाँ छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्थित होती हैं। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियाँ, जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रिया कलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है तो 'गाँव' कहलाती हैं। दूसरी ओर कम, किन्तु बड़े अधिवास द्वितीय और तृतीय क्रिया कलापों में विशेषीकृत होते है तो इन्हें 'नगरीय बस्तियां' कहा जाता हैं।

लागमैन भौगोलिक शब्द कोश में "ए.एन. क्लार्क" (1879) ने अधिवास को इस प्रकार परिभाषित किया है- "मानव निवास का कोई भी स्वरूप यहाँ तक कि एकल गृह भी अधिवास हो सकता हैं। यद्यपि वह शब्दावली प्राय: गृह समूह के रूप में प्रयुक्त होती हैं। "

जिस अधिवास में रहने वाले सम्पूर्ण या अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते है और उनकी जीविका का प्रधान आधार प्राथमिक क्रियाएँ होती हैं। उसे ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत रखा जाता हैं। उन क्रियाओं या व्यवसायों को प्राथमिक माना जाता है जो प्रकृति या भूमि से प्रत्यक्षत: सम्बंधित होती हैं। पशुओं का शिकार, मछली पकड़ना, कृषि, पशुपालन, इत्यादि प्राथमिक कार्य हैं। बृहत् तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को चार प्रकार से रखा जा सकता हैं।

गुच्छित बस्तियाँ

गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का संहत अथवा सकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता हैं। इस प्रकार के गाँव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारो ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता हैं। जैसे - आयताकार, अरीय , रेखीय इत्यादि।

अर्द्ध गुच्छित बस्तियाँ

अर्द्ध गुच्छित बस्तियाँ अथवा विखंडित बस्तियाँ परिक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृति का परिणाम हैं।

पल्लीकृत बस्तियाँ

कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती है परंतु उन सबका नाम एक रहता है । इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पालि, नगला इत्यादि कहा जाता हैं ।

परिक्षिप्त बस्तियाँ

भारत में इस प्रकार की बस्तियाँ सुदूर जंगलों में एकाकी छोपड़ियों अथवा कुछ छोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेती अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ती हैं।

सम्पूर्ण विश्व अथवा किसी एक ही देश के विभिन्न भागों में स्थित अधिवासों की अवस्थिति उनके आकार, विन्यास, स्थिरता आदि में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती

हैं। अधिवासों की उत्पत्ति उसके स्थल की उपयुक्तता के आधार पर और उसका विकास परिस्थिति या स्थिति के अनुसार होता हैं। अधिवासों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों में स्थलाकृति, जलवायु, जलाशय, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक तथा राजनीतिक कारक इत्यादि हैं।

वर्ण के आधार पर भारतीय समाज में चार स्तरों का उल्लेख मिलता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर किया गया हैं। ब्राह्मण का व्यवसाय अध्ययन और अध्यापन, यज्ञ करना हैं। क्षत्रिय का व्यवसाय धर्म का रक्षा, युद्ध करना इत्यादि हैं। वैश्य का कार्य व्यापार करना तथा शूद्र का काम उच्च जातियों की सेवा करना हैं।

परंतु वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जातियों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया हैं । जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ तथा उपजातियाँ आती हैं । सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, लाला, इत्यादि को रखा गया हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में अहीर, कुर्मी, केवट, प्रजापति, लोहार इत्यादि आते हैं। अनुसूचित जाति में चमार, धोबी, गोंड, जाटव इत्यादि हैं। जबकि सबसे निम्न वर्ग अनुसूचित जनजाति हैं। जिसमें विभिन्न प्रकार के जनजातीय लोग आते हैं। जैसे - भील, राजी, भोक्सा, जैनसार, बैगा, कोरवा इत्यादि ।

2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,028,757,436 हैं। जिसमें अनुसूचित जाति 1,66,6,35,700 तथा अनुसूचित जनजाति 8,43,26,240 हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 16,61,97,921 है जिसमें अनुसूचित जाति 3,51,48,377 तथा अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 1,07963 हैं। मंडल कमीशन के अनुसार (1जनवरी 1979) भारत में लगभग 52 फीसदी जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग की थी। नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार,(1999-00) 36% जबकि नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे (1998-99) के अनुसार इनकी जनसंख्या 33.5% बतायी गयी हैं।

ग्रामीण अधिवास में जाति प्रथा का प्रभाव प्रत्यक्ष रुप से देखा जाता हैं। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 'जजमानी व्यवस्था' हैं। जिसमें प्रत्येक जाति के लोगों के अपने-अपने जजमान होते हैं। जिस कारण उनमें आपसी सहयोग तथा परस्पर निर्भरता का गुण

प्रदर्शित होता हैं। ग्रामीण भारतीय समाज में जातिगत अधिवास की प्रथा भी देखने को मिलती हैं। ग्रामीण अधिवास में प्रत्येक जाति के लोग अपने - अपने व्यवसाय में सहूलियत के आधार पर गृह निर्माण के लिए स्थान चुनते हैं। ताकि उनकी सारी जरूरतें तथा व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके। आधुनिक समाजों में व्यवसायों एवं पेशों की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। किसी भी समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति व्यवसाय द्वारा ही होती हैं।

इसी प्रकार ग्रामीण अधिवास में परंपरागत जातिगत व्यवसाय का प्रभाव देखा जा सकता हैं। भारतीय ग्रामीण समाज में अनेकों जातियाँ और उपजातियाँ रहती हैं। उनका अधिवास किस रूप में ग्राम में होता है, यह जानना दिलचप्स रहा हैं। मानवशास्त्र में ग्राम अध्ययन पर अनेकों अध्ययन किये गए हैं। और विदद्वानों ने अपने-अपने अनुसार उसे व्यक्त किया है। परन्तु अभी तक किसी भी मानवशास्त्री का ध्यान इस ओर नहीं गया कि ग्रामीण अधिवास पर परम्परागत जातिगत व्यवसाय का क्या प्रभाव पड़ता है? इस तथ्य को आधार बनाकर अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

शीर्षक का महत्व

भोजन के पश्चात, आश्रय मानव की अत्यंत मत्वपूर्ण आवश्यकता हैं। मौसम विषमताओं से, मानव अपनी सुरक्षा तथा सामाजिक जीवन के लिए घरों का निर्माण और अधिवासों (बस्तियों) का निर्माण करता हैं। वास्तव में, अधिवास मानव का भौतिक पर्यावरण से अपने आप को अनुकूलन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

मानवशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों और भूगोलविदों द्वारा ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के प्रश्न पर गहराई से उतरोत्तर अध्ययन किया गया हैं। उनका इस विषय का अध्ययन भिन्न-भिन्न उद्देस्यों और विधियों से किया गया हैं। बहुत कम मनुष्य अकेले रहते हैं। विश्व में अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार के अधिवास स्थायी भवनों और निवासियों के समूहो में निवास करते हैं। पृथ्वी के धरातल का बहुत छोटा प्रतिशत अधिवासों से घिरा है किन्तु इनके द्वारा विश्व की संस्कृति अधिक प्रभावित हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक नवाचार प्रतिमानों के प्रसार के लिए उद्भव बिन्दु के रूप में कार्य करती हैं।

सभ्यता के जन्म के साथ मानव ने ग्राम का विकास किया। जिसमें लोगों के बीच आपसी सहयोग देखा जाता है भारतीय ग्राम को भारत की आत्मा कहा जाता हैं। क्योंकि लगभग 70% जनसंख्या गाँवों में निवास करती हैं। गाँव की अपनी एक विशेषता होती हैं। सबसे प्रमुख विशेषताओं में जाती प्रथा आती हैं। जाति की विशेष पहचान हमें ग्रामीण क्षेत्र मे ही देखने को मिलता हैं। जाति के आधार पर जाति मतभेद, उच्च-नीच तथा सामाजिक दूरी भी देखने को मिलता हैं। जाति के आधार पर जातिगत पेशा भी ग्रामीण क्षेत्र मे देखने को मिलता हैं। जातिगत व्यवसाय के आधार पर गाँव मे अपनी सहयोग की भावना बनी रहती है, तथा इसके साथ साथ अपने व्यवसाय मे सहूलियत के आधार पर अपनी आर्थिक स्थिति को आधार बनाकर विभिन्न जतियों के लोगों का अधिवास होता था।

प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की अधिवासीय स्थिति को देखा जा सकता हैं। ग्रामीण अधिवास और जातिगत व्यवसाय के बीच का संबंध मानवशास्त्र तथा मानवशास्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हैं। क्योंकि प्राचीन काल से ही ग्राम और

पारंपरिक पेशा का संबंध रहा हैं। अतः पारंपरिक जातिगत व्यवसाय के आधार पर ग्रामीण अधिवास में प्रत्येक जाति के लोगों का किस प्रकार का हस्तक्षेप और भूमिका होती है, यह जानना प्रमुख होगा। इसी कारण जातिगत व्यवसाय का ग्रामीण अधिवास पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रस्तुत किया गया हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

किसी भी शोध के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके उदेश्य को निर्धारित करना आवश्यक होता हैं। मेरे अंनुसन्धान में ग्रामीण अधिवास तथा परंपरागत जातिगत व्यवसाय के बीच के अंतर संबंध को ढूंढने का प्रयास किया गया हैं। इस शोध में विभिन्न जातियों के द्वारा उनके जातिगत व्यवसाय तथा वर्तमान वयवसाय के आधार पर पड़ने वाले प्रभाव का ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण अधिवास के प्रारूप को जानने का प्रयास किया हैं। शोध के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

- ग्रामीण अधिवास पर पारंपरिक जातिगत व्यवसाय के प्रभाव का अध्ययन।
- ग्रामीण अधिवास के वर्तमान एवं प्राचीन प्रारूप को जानने का प्रयास।
- ग्रामीण अधिवास पर क्षेत्रीय पारिस्थितिकि का प्रभाव।
- ग्रामीण अधिवास पर अन्य कोई कारकों का प्रभाव।

अनुसंधान में प्रयुक्त विधियाँ

अनुसंधान के दौरान कुछ कठिनाइयां तो आती रहती है पर उन कठिनाइयों को सरल किया जा सकता है अगर हम मानवशास्त्र में प्रयुक्त होने वाली विधियों को अपनाए। ये विधियां अनुसंधान कार्य करने के लिए हमारी सहायता करती है ये विधियां इस प्रकार है जिनकी सहायता से मैंने अनुसंधान को सरल करने का प्रयास किया हैं। अतः अपने अनुसंधान कार्य में इन्हीं विधियों को प्रयुक्त किया हैं।

अवलोकन विधि

सूनी सुनाई गई बातों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करने के बदले देखकर लिखा गया प्रतिवेदन ज्यादा विश्वसनीय होता हैं। अवलोकन विधि में अनुसंधानकर्ता घटनाओं को देखता है एवं तथ्य संग्रह करता हैं। साधारण शब्दों में अवलोकन अथवा निरिक्षण का अर्थ है देखना, सुनना, समझना। मानवशास्त्रीय अध्ययन में अवलोकन पद्धति का विशेष स्थान हैं। मैंने अपने अनुसंधान कार्य में असहभागी अवलोकन पद्धति को प्रयोग में लाने का प्रयास किया हूं। असहभागी पद्धति के प्रयोग से मैंने तथ्य एकत्र किया हैं।

साक्षात्कार विधि

इस विधि में सूचनादाता व अनुसंधानकर्ता दोनों आमने सामने होते हैं। अनुसंधानकर्ता अपने प्रश्नों से सूचनादाता के द्वारा तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार वातावरण की सृष्टि करता है और तथ्यों के आधार पर आकड़े एकत्र करता हैं। साधारण शब्दों में मैंने कुछ बिंदुओं पर आमने सामने की स्थिति में बातचीत किया और तथ्य एकत्र किया हैं। अपने अनुसंधान में मैंने व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार के साक्षात्कार को प्रयोग में लाया हूँ। जहां पर गुप्त व गूढ़ जानकारी लेनी थी वैसी जगहों पर भी जाकर जानकारी लेने का प्रयास किया हूँ।

साक्षात्कार निर्देशिका

इस विधि के अंतर्गत तथ्यों से संबंधित प्रश्नों को सूची तैयार कर अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के समक्ष जाकर तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता हैं। मैं स्वयं

सूचनादाता के समक्ष जाकर अनुसूची के माध्यम से तथ्य संग्रह किया। कभी कभी अध्ययनकर्ता के समक्ष बिना अनुसूची के तथ्य संग्रह करने में कठिनाइयां सामने आ जाती है इस कारण मैं अपने विषय से हमेँशा सही तथ्य की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किया हूं। मैं साक्षात्कार विधि से अनुसूची को भरने का प्रयास किया हूं।

निदर्शन

इस विधि में कुछ को परख करके सम्पूर्ण के विषय मे अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। अतः मै अपने अनुसंधान मे इस विधि का प्रयोग किया है। इस विधि के लिये मैंने **purposive** सैंपलिंग तथा लौटरी विधि का प्रयोग किया है।

टेपरिकार्डिंग

इस विधि का प्रयोग मैंने अपने अध्ययन क्षेत्रकार्य के दौरान किया हैं। क्षेत्र कार्य करने के लिए मैंने साक्षात्कार के दौरान मोबाइल से तथ्यों का संकलन किया। समय के आभाव में शोध कार्य करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती हैं। इस विधि से तथ्यों का संकलन कर, बाद में रिकार्डिंग को सुन कर तथ्यों का विश्लेषण किया गया है तथा इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया हैं।

छायाचित्रण

छायाचित्रण प्रारम्भिक एक ऐसी प्रविधि है जो क्षेत्रकार्य में की जाती हैं। नृजाति तथ्यों की रचना (संग्रहण) मेँ छायाचित्रण का प्रयोग प्रारम्भिक रूप में एक सर्वेक्षण उपकरण या प्रारम्भिक जानकारी के रूप में किया जाता हैं। मानव शास्त्रियों के लिए कैमरा एक चाबुक नोटबूक की तरह है जिसके द्वारा वे व्यवस्थित रूप में नृजातिक तथ्यों का छायांकन कर उनका विश्लेषण करते हैं। इसके अंतर्गत हम भौतिक संस्कृति की प्रकियाओं से ले कर अनेक प्रकार के व्यवहारों के छायांकन के लिए करते हैं।

मैंने अपने विषय की वास्तविकता के लिए छायाचित्रण का प्रयोग किया हैं। इसके अंतर्गत मैंने सूचनादाताओं, खेतों, कुओं, सड़कों, घरों, तथा जतियों के समूहों का वास्तविक छायाचित्रण किया हैं।

दैनिक डायरी

यह एक ऐसा माध्यम है जो शोध कार्य में शोधकर्ता की मदद करता हैं। शोध क्षेत्र में किए गए अवलोकण, साक्षात्कार को प्रतिदिन अपनी डायरी में लिखता है, जिसके आधार पर तथ्यों का विश्लेषण एवं वर्गिकरण किया गया हैं।

द्वितीयक स्रोत

द्वितीयक या प्रलेखीय स्रोतों के अंतर्गत मतदाता पहचान सूची 2009, ऐतिहासिक प्रलेख, सरकारी आंकड़े, यात्रा वर्णन, इंटरनेट, मैगजीन, जनगणना रिपोर्ट, नक्सा, समाचार पत्र एवं पुस्तकों की सहायता ली गयी हैं।

कठिनाईयां एवं सीमाएं

इस शोध कार्य में मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निर्धारित समय सीमा होने के कारण मुझे तथ्यों का संकलन निश्चित समय अवधि में करना था जिसके लिए मैंने प्रतिदिन के हिसाब से क्षेत्र को बाटा, मेँरे अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित कठिनाईयों एवं सीमाओं का सामना करना पड़ा जिसका वर्णन किया जा रहा हैं।

समय के आभाव होने के कारण मेँरा अध्ययन क्षेत्र मात्र प्राचीन कुड़ी गाँव तक ही सीमित रखना पड़ा हैं। क्षेत्र कार्य के लिए मात्र 32 दिनों का ही समय मिला, जिस कारण मुझे इस गाँव के दो अन्य पूरवा 'इमलीपुर' और 'गर्दानार' का मात्र अवलोकन से ही संतुष्ट होना पड़ा।

मेँरा क्षेत्र कार्य जिस समय प्रारंभ हुआ उस समय कड़ाके की ठंड पड रही थी। संयोगवश मेँरा अध्ययन क्षेत्र भी उत्तर भारत का एक छोटा सा गाँव था। जिस कारण मुझे कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा, ठंड के कारण मेँरा शोध कार्य थोड़ा प्रभावित हुआ।

शोध कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता आवास की होती हैं। अपरिचित व्यक्ति को एक नई जगह पर अवासीय समस्या होती हैं। मुझे भी इस ग्राम में रहने के लिए आवासीय समस्याओं का सामना करना पड़ा।

एक शोधार्थी के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या भोजन की होती हैं। अनुसंधान क्षेत्र के आस पास किसी भी तरह के भोजनालय की व्यावस्था नहीं थी, इस कारण मुझे अपने आप से भोजन बनाना पड़ता था। भोजन बनाने का ज्ञान नहीं होने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

मेरे शोध कार्य मेँ सूचनादाता की अनुपलब्धता की भी समस्या हुई, चूँकि गाँव के लोग सुबह होते ही अपने अपने कार्यों पर चले जाते थे और शाम तक ही लौटते थे जिससे मुझे उनसे सूचना एकत्र करने के लिए देर रात तक गाँव में रहना पड़ता था। जब वे घर लौटते तो थकान की स्थिति होती थी जिस कारण मुझे सूचना एकत्र करने में बहुत समय भी लगता था तथा कई कठिनाइओं का सामना भी करना पड़ता था।

तथ्य संगठन

तथ्य संगठन के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रमाण पत्र दिया गया हैं। इसके बाद शोध कार्य में जिन-जिन व्यक्तियों ने मेरा मार्ग दर्शन किया है उनका धन्यवाद ज्ञापन किया गया हैं। इसके बाद क्षेत्र कार्य से संबन्धित मानचित्रों और रेखाचित्रों का भी संकलन किया गया हैं। इसके बाद संकलित तथ्यों को निम्न क्रम में समावेशित किया गया है-

प्रस्तावना के अंतर्गत शीर्षक की भूमिका, शीर्षक का महत्व, उद्देश्य एवं वस्तुनिष्ठता, शोधप्रविधि एवं अध्ययन क्षेत्र में आई कठिनाइयों का विस्तृत वर्णन किया गया हैं।

प्रथम अध्याय के अंतर्गत क्षेत्र एवं निवासियों का वर्णन प्रस्तुत किया गया हैं। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य, मिर्ज़ापुर जिला तथा कुड़ी गाँव का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया गया हैं। इसमें क्षेत्र से संबन्धित मानचित्रों का भी प्रयोग किया गया हैं।

द्वितीय अध्याय के अंतर्गत ग्रामीण अधिवास का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया हैं। इसमें कुड़ी गाँव के निवासियों के अधिवासों का विस्तृत वर्णन किया गया हैं।

तृतीय अध्याय के अंतर्गत जातियों के जातिगत व्यवसाय का वर्णन किया गया हैं। कुड़ी गाँव में निवासरत विभिन्न जातियों के पारंपरिक जातिगत व्यवसाय एवं वर्तमान व्यवसाय का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया हैं।

चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत गाँव में निवासरत विभिन्न जातियों के जातिगत व्यवसाय के आधार पर गाँव में निवास करने के स्थान का विस्तृत वर्णन किया गया हैं। इसमें आजादी से पूर्व, आजादी के बाद तथा वर्तमान समय में निवासरत जातियों के निवासीय स्थान का विवरण प्रस्तुत किया गया हैं।

पंचम अध्याय के अंतर्गत जातिगत व्यवसाय तथा वर्तमान व्यवसाय का ग्रामीण अधिवास पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया गया हैं।

षष्टम अध्याय के अंतर्गत शोध कार्य से संबन्धित निष्कर्ष एवं सुझावों का विवरण प्रस्तुत किया गया हैं।